फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम नितिन

न्यायालय **सहायक कलक्टर**
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

संख्या 120/2025 दावा - 53,188 R.T.A

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29/10/25	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 31/10/25 को पेश हो। (रीडर)	
	31/10/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष ने अवलोकन हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में अवलोकन हेतु अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 7/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	7/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना बाबत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश नहीं कर मौखिक बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज किया जाकर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर से कम हो।	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 120 / 2025

शीर्षक

1. मोहन लाल पुत्र नारायण लाल, जाति रैगर, निवासी गुगडोदिया भवन, हरमाडा घाटी अम्बेडकर बस्ती, सीकर रोड जयपुर राज वादी

–वादी

बनाम

1. नितिन कुमार वर्मा पुत्र ओम प्रकाश
2. ममता देवी पत्नी श्रवण कुमार,
3. मीना बुनकर पुत्री ओम प्रकाश,
4. श्रवण कुमार वर्मा पुत्र ओमप्रकाश
5. सुनिता बुनकर पत्नी नितिन कुमार
   समस्त वयस्क समस्त जाति बलाई, समस्त निवासीगण अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 7/11/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी हाल खाता संख्या 196 के हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.6900 कुल किता–1 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का–अमरसर, भू. अभि. नि क्षेत्र अमरसर तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र पेश है। वाद पत्र के जिमन नं० 1 में वर्णित भूमि को वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मनबट बटवारा के आधार पर काबिज रहकर सामलाती में काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक काबिज काश्त है तथा सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बटवारा करवाये ही वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी भूमि में वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है तथा वादी को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। आज से सप्ताहभर पूर्व

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वादी अपने हिस्से की भूमि की देखरेख कर रहे थे तो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 आराजी मुतनाजा पर आये और वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने लग गये तथा वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 से कहा कि मेरे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा मत करो तथा कानूनी बंटवारा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 भडक गये तथा लडाई झगडा व मारपीट करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने वादी को एलानिया धमकी दी कि हम कानूनी बंटवारा नहीं करवायेगें तथा बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही तुम्हारे हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करके रहेगें तथा दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी तथा वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 उक्त अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया या उक्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया या जबरन कब्जा कर लिया तो इससे वादी को अपने खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद पत्र बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

अंत में निवेदन है कि आराजी हाल खाता संख्या 196 के हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.6900 कुल किता–1 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू. अभि.नि. क्षेत्र अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 05 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों के हिस्से अनुसार तथा मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे एवं आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 10.10.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2025 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वकालतनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना–पत्र बाबत् हमफिता पेश किया, जिस पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन बहस एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् हमफिता पत्रावली स्वीकार किया गया एवं उनवानी वाद नितिन कुमार बनाम मोहनलाल को उक्त वाद मोहनलाल बनाम नितिन कुमार के साथ हमफिता किया गया एवं वकील उभयपक्ष ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 10.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार तहसील शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/5978 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। नकल दिलाई गई। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश नहीं कर प्रकरण में सीधी बहस की। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र. आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारा रिपोर्ट में तहसीलदारा शाहपुरा द्वारा कब्जे को ध्यान में नही रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई है एवं उक्त आराजी का अच्छा सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी को दिया गया है जो एक खरीरदार है, जो मूल खातेदार नहीं है। इसलिए भी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नही की जाकर मनमाने तरीके से तैयार की गई है इसलिए भी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वकील वादी ने अपनी सीधी बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियमों के अनुरूप बनाई गई है एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार भूमि का विभाजन किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट सरस–नरस के आधार पर बनाई गई है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वकील वादी द्वारा उक्त वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है एवं प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर के नियमों के अनुरूप होने से एवं सरहद–नक्शा के अनुसार बनाई जाने से, कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होती है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खाता संख्या 196 के हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.6900 कुल किता–1 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू. अभि.नि. क्षेत्र अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति रैगर सा0 गुगड़ोदिया भवन, हरमाडा घाटी, अम्बेडकर बस्ती, सीकर रोड, हरमाडा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 782/1 रकबा 0.1725 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.1725 है0 भूमि रहेगी।
2. ममता देवी पत्नी श्रवण कुमार हि0 1725/5175, सुनिता बुनकर पत्नि नितिन कुमार हि0 1725/5175, नितिन कुमार वर्मा, श्रवण कुमार वर्मा, मीना बुनकर पि0 ओमप्रकाश हि0 1725/5175 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 782/2 रकबा 0.5175 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5175 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 120/2025

शीर्षक

1. मोहन लाल पुत्र नारायण लाल, जाति रैगर, निवासी गुगडोदिया भवन, हरमाडा घाटी अम्बेडकर बस्ती, सीकर रोड जयपुर राज वादी

–वादी

बनाम

1. नितिन कुमार वर्मा पुत्र ओम प्रकाश
2. ममता देवी पत्नी श्रवण कुमार,
3. मीना बुनकर पुत्री ओम प्रकाश,
4. श्रवण कुमार वर्मा पुत्र ओमप्रकाश
5. सुनिता बुनकर पत्नी नितिन कुमार

समस्त वयस्क समस्त जाति बलाई, समस्त निवासीगण अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 7/11/2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खाता संख्या 196 के हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.6900 कुल किता–1 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू. अभि.नि. क्षेत्र अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति रैगर सा0 गुगड़ोदिया भवन, हरमाडा घाटी, अम्बेडकर बस्ती, सीकर रोड, हरमाडा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 782/1 रकबा 0.1725 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.1725 है0 भूमि रहेगी।
2. ममता देवी पत्नी श्रवण कुमार हि0 1725/5175, सुनिता बुनकर पत्नि नितिन कुमार हि0 1725/5175, नितिन कुमार वर्मा, श्रवण कुमार वर्मा, मीना बुनकर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पि0 ओमप्रकाश हि0 1725/5175 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 782/2 रकबा 0.5175 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5175 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 7/11/2025 को मेरेहस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.